

नागर विमानन मंत्रालय

मांग संख्या 9

नागर विमानन मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

		बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006			
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व		4.95	237.10	242.05	4.95	327.00	331.95	5.85	262.65	268.50	
पूंजी		45.05	...	45.05	45.05	...	45.05	365.00	...	365.00	
जोड़		50.00	237.10	287.10	50.00	327.00	377.00	370.85	262.65	633.50	
1.	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	5.91	5.91	...	5.91	5.91	...	6.20	6.20
नागर विमानन											
2.	नागर विमानन महानिदेशक	3053	0.95	18.10	19.05	0.95	18.00	18.95	1.00	18.90	19.90
		5053	3.05	...	3.05	3.05	...	3.05	4.00	...	4.00
	जोड़		4.00	18.10	22.10	4.00	18.00	22.00	5.00	18.90	23.90
3.	नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो	3053	...	5.70	5.70	...	5.70	5.70	...	5.93	5.93
		5053	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00
	जोड़		10.00	5.70	15.70	10.00	5.70	15.70	5.00	5.93	10.93
4.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को यात्री सेवा फीस के बदले विदेश यात्रा कर के हिस्से का भुगतान	3053	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	0.10	0.10
5.	हज चार्टरों के प्रचालन के लिए आर्थिक सहायता	3053	...	200.00	200.00	...	225.00	225.00	...	225.00	225.00
6.	सरकारी उद्यमों में निवेश	5053	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	333.92	...	333.92
		7053	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00
	जोड़		27.00	...	27.00	27.00	...	27.00	348.92	...	348.92
7.	अन्य व्यय	3053	4.00	3.80	7.80	4.00	3.80	7.80	4.85	3.80	8.65
		3601	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05
	जोड़		4.00	3.85	7.85	4.00	3.85	7.85	4.85	3.85	8.70
अन्य परिवहन सेवाएं											
8.	रेलवे सुरक्षा आयुक्त	3075	...	2.58	2.58	...	2.58	2.58	...	2.71	2.71
	घटाइए- कार्यात्मक मुख्य शीर्ष	3075	...	-0.04	-0.04	...	-0.04	-0.04	...	-0.04	-0.04
	को अंतरण		...	2.54	2.54	...	2.54	2.54	...	2.67	2.67
9.	वायुदूत देनदारियों के कारण इंडियन एयरलाइंस को क्षतिपूर्ति	3053	65.00	65.00
10.	पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान	4552	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	7.08	...	7.08
कुल जोड़			50.00	237.10	287.10	50.00	327.00	377.00	370.85	262.65	633.50
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश		विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
6.01	एयर इंडिया लि.	13053	1.00	470.40	471.40	1.00	460.10	461.10	1.00	467.74	468.74
6.02	इंडियन एयरलाइन्स लि.	13053	1.00	225.00	226.00	1.00	214.62	215.62	325.00	586.73	911.73
6.03	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	13053	30.00	765.08	795.08	30.00	671.71	701.71	30.00	862.30	892.30
6.04	पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि.	13053	...	109.50	109.50	...	75.60	75.60	...	90.70	90.70
6.05	भारतीय होटल निगम	13053	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
जोड़			32.00	1570.98	1602.98	32.00	1423.03	1455.03	356.00	2008.47	2364.47
ग. आयोजना परिव्यय											
1.	नागर विमानन	13053	45.00	1570.98	1615.98	45.00	1423.03	1468.03	363.77	2008.47	2372.24
2.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	7.08	...	7.08
जोड़			50.00	1570.98	1620.98	50.00	1423.03	1473.03	370.85	2008.47	2379.32

- इसमें मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।
- इस शीर्ष के अंतर्गत नागर विमानन महानिदेशालय और इसके क्षेत्रीय तथा फील्ड कार्यालयों के स्थापना व्यय और उपस्कर तथा सहायक उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए व्यवस्था की गई है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को किए जाने वाले भारत के अंशदान के लिए व्यवस्था शामिल है। साथ ही गोंडिया, महाराष्ट्र में नए उड़ान प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना के लिए सांकेतिक प्रावधान है।
- यह व्यवस्था नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के स्थापना व्यय को पूरा करने

और उपस्करों तथा सहायक उपकरणों की अधिप्राप्ति और कार्यालय की इमारत के निर्माण से संबंधित सिविल निर्माण कार्यों के लिए की गई है।

- यह व्यवस्था भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सरकार द्वारा संग्रहित विदेश यात्रा कर के इसके हिस्से के भुगतान हेतु की गई है। इस योजना को दिनांक 1.4.2001 से समाप्त कर दिया गया है क्योंकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को दिनांक 1.4.2001 से अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों पर पीएसएफ की अनुमति दी गयी है। वर्ष 2005-06 के दौरान उन लंबित दावों जिन्हें लेखों का मिलान न किए जाने की वजह से पहले नहीं निपटाया जा सका, को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

सं.9/नागर विमानन मंत्रालय

5. यह व्यवस्था हज चार्टरों के प्रचालन के लिए एयर इंडिया लिमिटेड और अकादमी और एयरो क्लब ऑफ इंडिया को सहायता अनुदान के भुगतान के लिए है।
6. इस शीर्ष के अधीन आवंटन (i) इंडियन एअरलाइंस को उड़ानों में तेजी लाने हेतु मार्जिन राशि का भुगतान करना, (ii) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अमृतसर हवाई अड्डे के उन्नयन और पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम और जम्मू और कश्मीर, लेह और लक्षद्वीप जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में और (iii) एयर इंडिया लिमिटेड से संबद्ध विमानों के अधिग्रहण के लिए इक्विटी के भुगतान हेतु सांकेतिक प्रावधान करने के लिए बजटीय सहायता जारी करने के लिए है।
7. यह व्यवस्था फ्लाई/ग्लाइडिंग क्लबों, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी और एयरो क्लब ऑफ इंडिया को सहायता अनुदान के भुगतान के लिए है।
8. इस शीर्ष के अंतर्गत व्यवस्था रेल यात्रा की सुरक्षा और प्रचालन से संबंधित रेलवे सुरक्षा आयोग के स्थापना व्यय और भारतीय रेलवे अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निहित कतिपय सांविधिक क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए है।
9. यह प्रावधान वायुदूत की देयताओं के कारण इंडियन एअरलाइंस को क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु आशयित है।
10. यह पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान है।